स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 279, दिनांक 08.09.2021

अन्तर्राज्यीय स्तर पर शराब की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 तस्कर गिरफ्तार, भारी मात्रा मे हरियाणा निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब बरामद।

दिनांकः 08–09–2021 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को अन्तर्राज्यीय स्तर पर शराब की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 तस्कर गिरफ्तार कर उनके कब्जे से हरियाणा निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :–

1– सदीप गौरव पुत्र रोहतास गौरव निवासी बावली थाना बडौत, जनपद बागपत।
2– बाबू खाँ पुत्र स्व इस्माईल खाँ नि0 मौलाना आजाद नगर लाइन पार जमालपुर थाना क्वारसी जनपद अलीगढ़ मूल निवासी सैदापुर थाना मलावल जनपद एटा।

बरामदगी :–

1– 104 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब (89 पेटी इम्परीयल ब्लू, 15 पेटी मैकडावल न0–1)
2– 01 अदद वाहन संख्या– UP13 BT 4872 अशोका लीलैड़
3– रू 750 नगद।
4– 01 अदद सैमसंग कीपैड मोबाइल।
5– 01 अदद आधार कार्ड।
6– 01 अदद फर्जी बिल्टी एअर रिसिवर टैंक।

गिरफ्तारी का दिनांक, स्थान व समयः–

धनगर भवन के सामने कपसेटी बॉर्डर थाना जन्सा वाराणसी दिनांक 08–09–2021 समय 21:10 बजे।

एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को विगत काफी दिनों से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों एवं उत्तर प्रदेश के रास्ते अन्य राज्यों से संगठित गिरोहों द्वारा अवैध शराब की तस्करी/अवैध क्रय–विक्रय/अवैध परिवहन होने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में डा0 राकेश कुमार मिश्र, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ, लखनऊ के नेतृत्व में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में उ0नि0 घनश्याम यादव के नेतृत्व मे मु0आ0 प्रताप नारायण सिंह, विनोद कुमार सिंह, कुलदीप सिंह, आरक्षी राजेश पाल, शिव भोला शुक्ला, मुकेश प्रजापति की एक टीम द्वारा जनपद वाराणसी में मौजूद थी। इसी दौरान ज्ञात हुआ कि एक बोलेरो पिकप सं0 UP13 BT 4872 अशोका लीलैड द्वारा फर्जी बिल्टी व फर्जी ई–वे बिल बनाकर उसके अन्दर एयर रिसिवर टैंक मे छुपाकर अवैध शराब हरियाणा से लायी जा रही है। इस सूचना पर आबकारी विभाग की टीम के संयुक्त प्रयास से समय करीब 21.10 बजे वाहन सं0 UP13 BT 4872 को पकड़ लिया गया तथा उसमे सवार 02 अभियुक्त को आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि गाड़ी मालिक विनय कुमार और अन्य लोगों का संगठित गिरोह है विनय कुमार द्वारा पानीपत के ट्रान्सपोर्ट नगर से गाड़ी शराब लदवाकर हम लोगों को दे दिया जाता है तथा इसके द्वारा ही गुप्ता इन्टर प्राइजेज से अलग–अलग प्रकार की बिल्टी भी दी जाती है। हम लोग उनके बताये गये स्थान बिहार, झारखण्ड, गुजरात व अन्य जगहो पर गाड़ी पहुॅचा देते है। वहॉ पर कोई आदमी आकर गाड़ी ले जाता है और शराब उतरवाकर हमे गाड़ी वापस कर देता है। हम लोग पुनः अगली खेप लेने हरियाणा चले जाते है। अब तक 08–10 बार हम लोग अलग–अलग जगहो पर इसी गाड़ी से सप्लाई कर चुके है। इस बार शराब हम लोग झारखण्ड लेकर जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध मु0अ0सं0 161/21 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम व धारा 420/467/468/471/43/120 (B) भादवि थाना जन्सा जनपद वाराणसी पर पंजीकृत कराया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।